

डफिॉल्ट जमानत

प्रलिमिंस के लिये:

[डफिॉल्ट जमानत](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [आपराधिक प्रक्रिया संहिता \(CrPC\) की धारा 167\(2\)](#), [अनुच्छेद 21](#), [अनुच्छेद 22](#), [मौलिक अधिकार](#)

मेन्स के लिये:

डफिॉल्ट जमानत और संबंधित प्रावधान, जमानत के प्रकार

चर्चा में क्यों?

[सर्वोच्च न्यायालय](#) ने नचिली अदालतों को आपराधिक मामलों में [डफिॉल्ट जमानत](#) याचिका पर उस स्थिति में वचिर करने का नरिदेश दिया है, जब चारजशीट 60 या 90 दनिों के अंदर दायर नहीं की जाती है, जसिसे उन्हें [रति छाबड़िया बनाम भारत संघ \(26 अप्रैल, 2023\)](#) मामले में अपने नरिणय पर वशिवास कर स्वतंत्र रूप से डफिॉल्ट जमानत देने की अनुमता मिलती है।

- रति छाबड़िया के नरिणय को वापस लेने की मांग वाली [प्रवरतन नदिशालय \(ED\)](#) की अपील पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ये टपिपणथिों की।
- रति छाबड़िया के नरिणय में कहा गया है कि "[दंड प्रक्रिया संहिता \(CrPC\) की धारा 167 \(2\) के तहत डफिॉल्ट जमानत का अधिकार](#)" केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक [मौलिक अधिकार](#) है जो संवधान के [अनुच्छेद 21](#) में आरोपी व्यक्तथिों की रक्षा के लिये "राज्य की अबाध और मनमानी शक्ती" में मलिता है"।

डफिॉल्ट जमानत:

- परचिय:**
 - यह जमानत का अधिकार है जो पुलसि द्वारा न्यायकि हरिसत में लिये गएकसी व्यक्तके संबंध में एक नरिदषिट अवधके अंदर जाँच पूरी करने में वफिल होने पर प्राप्त होता है।
 - इसे वैधानिक जमानत के रूप में भी जाना जाता है।
 - यह [दंड प्रक्रिया संहिता \(CrPC\) की धारा 167 \(2\)](#) में नहिति है।
- CrPC की धारा 167(2):**
 - यदि पुलसि एक नरिदषिट अवधके अंदर जाँच पूरी करने में असमर्थ रहता है, तो न्यायकि हरिसत में व्यक्तको जमानत मांगने का अधिकार है।
 - जब पुलसि 24 घंटे के अंदर जाँच पूरी नहीं कर पाती है, तो वह संदगिध को एक मजसिट्रेट के सामने पेश करती है, जो यह तय करता है कि संदगिध को पुलसि हरिसत में रखा जाना चाहिये या न्यायकि हरिसत में।
 - CrPC की धारा 167 (2) के अनुसार, [मजसिट्रेट आरोपी व्यक्तको 15 दनिों तक पुलसि हरिसत में रखने का आदेश दे सकता है](#)। अधिकि समय की आवश्यकता होने पर [मजसिट्रेट आरोपी व्यक्तको न्यायकि हरिसत में रखने का अधिकार दे सकता है](#), जसिका अर्थ है जेल। हालाँकि अभयुिक्त को नमिन समय-सीमा से अधिकि नहीं रखा जा सकता है:
 - 90 दनि:** अगर जाँच अधिकारी एक ऐसे अपराध की जाँच कर रहा है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कम-से-कम दस वर्ष के कारावास से दंडनीय है।
 - 60 दनि:** अगर जाँच अधिकारी कसी अन्य अपराध की जाँच कर रहा है।
- वशिष स्थितिथिों:**
 - कुछ वशिष कानून जैसे- [नारकोटकि डरगस एंड साइकोट्रोपकि सबसटेंस एक्ट](#), जाँच की समय अवध अलग हो सकती है, जैसे **180 दनि**।
 - [गैरकानूनी गतविधिथिों \(रोकथाम\) अधनियिम 1967](#) में डफिॉल्ट सीमा केवल 90 दनिों की है, जसि और 90 दनिों तक बढ़ाया जा सकता है।
 - यह वसितार केवल लोक अभयिोजक की एक रपिरट पर दिया जा सकता है जसिमें जाँच में हुई प्रगतिका संकेत दिया गया हो एवं आरोपी को नरितर हरिसत में रखने के कारण बताए गए हों।

- इन प्रावधानों से पता चलता है कि समय का वसतिार स्वतः नहीं होता है बल्कि इसके लिये न्यायिक आदेश की आवश्यकता होती है।

डफॉल्ट बेल से संबंधित पूर्व नरिणयः

- **CBI बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी (1992):**
 - सर्वोच्च न्यायालय फैसला सुनाया कि एक मजसि्ट्रेट कसिी आरोपी की गरिफ्तारी के बाद 15 दिनों तक पुलसि हरिसत को अधकृत कर सकता है। इस अवधि के बाद कसिी भी अतरिकृत हरिसत को न्यायिक हरिसत में होना चाहयि, जब तक कि वही अभयुकृत कसिी वशिषिट घटना या लेन-देन से उत्पन्न नए मामले में शामिल न हो। ऐसे मामलों में मजसि्ट्रेट एक बार फरि पुलसि हरिसत को अधकृत करने पर वचिर कर सकता है।
- **उदय मोहनलाल आचार्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2001):**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने [?] के आधार पर कहा कि अभयुकृत द्वारा डफॉल्ट जमानत के अपने अधकिकार का उपयोग तब माना जाएगा जब उसने इसके लिये आवेदन दायर कयिा हो, न कि तब जब वह डफॉल्ट जमानत पर रहिा हुआ हो है।
 - यदि अभयुकृत के पक्ष में डफॉल्ट जमानत का आदेश पारति कयिा जाता है, लेकिन वह जमानत देने में वफिल रहता है और इस बीच आरोप पत्र दायर कर दयिा जाता है तो डफॉल्ट जमानत का अधकिकार समाप्त हो जाएगा।

भारत में जमानत के अन्य प्रकारः

- **नयिमति जमानत:** यह न्यायालय (देश के भीतर कसिी भी न्यायालय) द्वारा दयिा गया एक नरिदेश है जो पहले से ही गरिफ्तार और पुलसि हरिसत में रखे गए व्यकृत को रहिा करने हेतु उपलब्ध है। ऐसी जमानत के लिये व्यकृत CrPC की धारा 437 तथा 439 के तहत आवेदन कर सकता है।
- **अंतरमि जमानत:** न्यायालय द्वारा अस्थायी और अल्प अवधि हेतु जमानत दी जाती है, यह जमानत तब तक दी जा सकती है जब तक कि नयिमति या अग्रमि जमानत हेतु आवेदन न्यायालय के समक्ष लंबति नहीं होता है।
- **अग्रमि जमानत या पूर्व-गरिफ्तारी जमानत:** यह एक कानूनी प्रावधान है जो आरोपी व्यकृत को गरिफ्तार होने से पहले जमानत हेतु आवेदन करने की अनुमति देता है। भारत में पूर्व-गरिफ्तारी जमानत का प्रावधान दंड प्रक्रयिा संहतिा, 1973 की धारा 438 में कयिा गया है। इसे केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दयिा जाता है।
 - इस प्रकार की जमानत के लिये कोई व्यकृत CrPC की धारा 438 के तहत एक आवेदन दायर कर सकता है। यह केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी कयिा जाता है।

गरिफ्तारी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानः

- अनुच्छेद 22 गरिफ्तार अथवा हरिसत में लयिे गए व्यकृतयों को संरक्षण प्रदान करता है। नज़रबंदी के प्रकार हैं- दंडात्मक और नविरक।
 - दंडात्मक नरिोध के तहत कसिी व्यकृत द्वारा कयिे गए अपराध हेतु उसे न्यायालय में जाँच के बाद दंडति कयिा जाता है।
 - दूसरी ओर, नविरक नरिोध का अर्थ कसिी व्यकृत को बिना कसिी मुकदमे और अदालत द्वारा दोषसदिधि के हरिसत में लेने से है।
- अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं- पहला भाग साधारण कानून के मामलों से संबंधित है और दूसरा भाग नविरक नरिोध कानून के मामलों से संबंधित है।

दंडात्मक नरिोध के तहत दयिे गए अधकिकार	नविरक नरिोध के तहत दयिे गए अधकिकार
<ul style="list-style-type: none"> ▪ गरिफ्तारी के आधार के बारे में सूचति करने का अधकिकार। 	<ul style="list-style-type: none"> • कसिी व्यकृत की नज़रबंदी तीन महीने से अधकि नहीं हो सकती जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड वसतिारति नज़रबंदी हेतु पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं करता है। • बोर्ड में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं।
<ul style="list-style-type: none"> ▪ एक कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने का अधकिकार। 	<ul style="list-style-type: none"> • नज़रबंदी के आधारों के बारे में नज़रबंद व्यकृत को सूचति कयिा जाना चाहयि। • तथापि जनहति के वरिद्ध माने जाने वाले तथ्यों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।
<ul style="list-style-type: none"> ▪ यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजसि्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधकिकार। 	<ul style="list-style-type: none"> • बंदी को नरिोध आदेश के वरिद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दयिा जाना चाहयि।
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 24 घंटे के बाद रहिा होने का अधकिकार जब तक कि मजसि्ट्रेट आगे की हरिसत के लिये अधकृत नहीं करता। 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ये सुरक्षा उपाय कसिी वदिशी शत्रु के लिये उपलब्ध नहीं हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ यह सुरक्षा नागरिकों के साथ-साथ बाह्य व्यकृत दोनों के लिये उपलब्ध है।

स्रोतः द हट्टि

